

एपीवाई : संक्षिप्त विवरण

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

एपीवाई का लक्ष्य समूह	एपीवाई सभी भारतीय नागरिकों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए तैयार की गई है जिनके लिए पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। यह योजना ऐसे कामगारों को अपनी वृद्धावस्था के लिए स्वेच्छा से बचत करने हेतु प्रोत्साहित करती है।
योजना का संचालन	एपीवाई एक सरकारी योजना है जो एनपीएस संरचना में पीएफआरडीए के माध्यम से संचालित होती है।
शामिल होने की उम्र	18-40 वर्ष
पात्रता	असंगठित क्षेत्र का कोई भारतीय नागरिक
सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सूची	<ul style="list-style-type: none"><li>• कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम ,1952</li><li>• कोयला खान कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम,1948</li><li>• सीमेंस कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1966</li><li>• असम चाय बगान भविष्य निधि और पेंशन निधि योजना अधिनियम 1955</li><li>• जम्मू एवं कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961</li></ul>
एपीवाई खाता खोलना	खाता उस बैंक में खोला जाएगा जिसमें खाताधारक का बचत बैंक खाता हो ।
अंशदान राशि	<ul style="list-style-type: none"><li>• अंशदानकर्ता जो 18 वर्ष की उम्र में इसमें शामिल होते हैं उन्हें 1000 रुपए और 5000रुपए का मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए क्रमशः 42 रुपए और 210 रुपए प्रतिमाह जमा करना होगा।</li><li>• मासिक अंशदान का भुगतान अंशदानकर्ता के बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट द्वारा किया जाएगा ।</li></ul>
भारत सरकार से सह-अंशदान की पात्रता	सरकार द्वारा 5 वर्ष तक कुल अंशदान का 50% या 1000 रुपए प्रतिवर्ष, दोनों में जो कम हो, अंशदान किया जाएगा और सरकार केवल उन व्यक्तियों के लिए अंशदान करेगी जो किसी सांविधिक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत नहीं आते हों और जो आय कर दाता नहीं हों ।

एपीवाई के फायदे	<ul style="list-style-type: none"> <li>60 वर्ष की उम्र के बाद अंशदानकर्ता, जीवनसाथी एवं नामिती को कॉर्पस प्रतिफल समेत न्यूनतम 1000 रुपए और 5000 रुपए प्रतिमाह पेंशन की गारंटी है ।</li> </ul>							
एपीवाई की अन्य विशेषताएं	<ul style="list-style-type: none"> <li>वर्तमान स्वावलंबन योजना के अंशदानकर्ता, जो 18 से 40 वर्ष की उम्र के हों और जिन्होंने बाहर निकलने का विकल्प नहीं दिया है, स्वतः एपीवाई में माइग्रेट हो जाएंगे ।</li> <li>अंशदानकर्ता जो 1 जून 2015 से 31 दिसंबर 2015 के बीच इस योजना में शामिल होते हैं, उनके लिए सरकार द्वारा 5 वर्ष, अर्थात 2015-16 से 2019-20 तक सह-अंशदान किया जाएगा ।</li> <li>वर्तमान स्वावलंबन अंशदानकर्ता, यदि पात्र हों, स्वतः एपीवाई में शामिल हो जाएंगे, वैसे उनके पास बाहर निकलने का विकल्प भी होगा। तथापि एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा किए गए 5 वर्षों तक अंशदान का फायदा स्वावलंबन अंशदानकर्ताओं को उस सीमा के बाद से प्राप्त हो पाएगा जिस सीमा तक उन्होंने पहले प्राप्त कर लिया होगा। इसका यह आशय है कि यदि स्वावलंबन लाभार्थी के रूप में उसे सरकार द्वारा किए गए अंशदान का फायदा 1 वर्ष प्राप्त हो चुका है, तो एपीवाई के अंतर्गत सरकार द्वारा सह-अंशदान का फायदा उसे और 4 वर्ष तक प्राप्त हो सकेगा। प्रस्तावित एपीवाई से बाहर निकलने को इच्छुक वर्तमान स्वावलंबन लाभार्थी, यदि पात्र हों, के लिए 2016-17 तक सरकार द्वारा सह-अंशदान दिया जाएगा, और एनपीएस स्वावलंबन योजना तब तक जारी रहेगी जब तक इस योजना के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति एक्जिट करने की उम्र के नहीं हो जाते हैं।</li> <li>एपीवाई के अंतर्गत निधियों का प्रबंधन सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट पैटर्न के अनुसार होगा ।</li> <li>किसी अंशदानकर्ता के पास निवेश करने या पेंशन निधि चयन करने का कोई विकल्प नहीं होगा । .</li> </ul>							
प्रलेखन	<p>एक फॉर्म जिसमें शामिल होंगे :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>एपीवाई आवेदनपत्र</li> <li>स्व घोषणा</li> <li>ऑटो डेबिट के लिए प्राधिकार</li> </ul>							
एपीवाई का सूचक	<table border="1"> <thead> <tr> <th>शा मि ल</th> <th>अंशदा न के वर्ष</th> <th>मासिक पेंशन 1000 रुपए</th> <th>मासिक पेंशन 2000 रुपए</th> <th>मासिक पेंशन 3000 रुपए</th> <th>मासिक पेंशन 4000 रुपए</th> <th>मासिक पेंशन 5000 रुपए</th> </tr> </thead> </table>	शा मि ल	अंशदा न के वर्ष	मासिक पेंशन 1000 रुपए	मासिक पेंशन 2000 रुपए	मासिक पेंशन 3000 रुपए	मासिक पेंशन 4000 रुपए	मासिक पेंशन 5000 रुपए
शा मि ल	अंशदा न के वर्ष	मासिक पेंशन 1000 रुपए	मासिक पेंशन 2000 रुपए	मासिक पेंशन 3000 रुपए	मासिक पेंशन 4000 रुपए	मासिक पेंशन 5000 रुपए		

अंशदान चार्ट

होने की उम्र							
18	42	42	84	126	168	210	
19	41	46	92	138	183	228	
20	40	50	100	150	198	248	
21	39	54	108	162	215	269	
22	38	59	117	177	234	292	
23	37	64	127	192	254	318	
24	36	70	139	208	277	346	
25	35	76	151	226	301	376	
26	34	82	164	246	327	409	
27	33	90	178	268	356	446	
28	32	97	194	292	388	485	
29	31	106	212	318	423	529	
30	30	116	231	347	462	577	
31	29	126	252	379	504	630	
32	28	138	276	414	551	689	
33	27	151	302	453	602	752	

	34	26	165	330	495	659	824	
	35	25	181	362	543	722	902	
	36	24	198	396	594	792	990	
	37	23	218	436	654	870	1,087	
	38	22	240	480	720	957	1,196	
	39	21	264	528	792	1,054	1,318	
	40	20	291	582	873	1,164	1,454	